1306
2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आर्डीएमएसआर: [illegible]

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार [illegible]

[illegible]

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में अभिलेखानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये ~~जाने उचित है~~ की जाती है / नहीं की जाती है।

[illegible]

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

— आदेश :—

दिनांक :— .....

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाता तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	जैतपुरा	2075-2078	309 311 312	राजेन्द्र पुत्र मोहन - राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हरिराम सर्मा	

नोट :—शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :— 12/11/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:07:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक :— राजस्व / 2021 / 1056-57

प्रतिलिपि :—

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को [illegible]
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner